रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231170 CG-DL-E-16112021-231170

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] No. 567] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

फा. सं. एन-12/13/1/2019-पी&डी.—आम सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 10 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

"दिनांक 06.03.1991 को आयोजित अपनी बैठक में निगम द्वारा पारित संकल्प के अधिक्रमण में, यह संकल्प लिया जाता है कि महानिदेशक, चिकित्सा आयुक्त, बीमा आयुक्त, अपर आयुक्त, निदेशक (प्रशासन), उप चिकित्सा आयुक्त, डीन, निदेशक (चिकित्सा), चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड-क/निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड-ख/संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ उप निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक/प्रबन्धक ग्रेड-I, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/प्रबन्धक ग्रेड-II/अधीक्षक निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत हैं:-

- (i) निगम के हित में आवश्यक, निगम के नाम पर वाद और अन्य विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने तथा निगम के विरुद्ध प्रारम्भ की गई ऐसी किसी कार्यवाही का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित उन अधिकरणों सहित सभी न्यायालयों या अधिकरणों में बचाव करने; तथा
- (ii) ऐसे मामलों का सभी न्यायालयों या अधिकरणों में निगम का प्रतिनिधित्व करना जिनमें निगम एक पक्ष हो तथा निगम की ओर से कार्य करने, पेश होने, आवेदन करने, अभिवचन करने तथा धन की निकासी करना हो।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (पी. एवं डी.) [विज्ञापन-III/4/असा,/428/2021-22]

6623 GI/2021 (1)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2021

F. No. N-12/13/01/2019-P&D.— It is notified for general information that the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 10th Sept 2021 passed the following resolution:-

"In supersession of the Resolution passed by the Corporation at its meeting held on 06.03.1991, it is resolved that the Director General, the Medical Commissioner, the Insurance Commissioner, the Addl. Commissioner, the Director (Administration), the Deputy Medical Commissioner, the Dean, the Director (Medical), the Medical Superintendent, the Regional Director Grade 'A'/Director, the Regional Director Grade 'B'/Joint Director, the Senior Deputy Director, Deputy Director, Assistant Director/Manager Grade-I, Social Security Officer/Manager Grade-II/Superintendent are authorized to:-

- (i) Institute in the name of the Corporation, suits and other legal proceedings necessary in the interest of the Corporation and to defend any such proceedings instituted against the Corporation in all courts or tribunals including those established under the Employees State Insurance Act, 1948; and
- (ii) to represent the Corporation in all courts or tribunals in cases to which corporation is a party and to act, appear, make applications, plead and withdraw, moneys on behalf of the Corporation.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./428/2021-22]